



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042020-219042
CG-DL-E-13042020-219042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]
No. 93]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2020/चैत्र 24, 1942
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2020/CHAITRA 24, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020
सं. 02/2015-2020

विषय : विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया-आवेदन की वास्तविक प्रति को प्रस्तुत करने हेतु समयवधि में छूट।

फा. सं. 01/92/180/01/एम-20/पीसी-VI.—यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया पुस्तक में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(i) प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 7(क) 01 के उप खण्ड (ग) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:

“तथापि, दिनांक 01.02.2020 को या इसके बाद दिनांक 30.09.2020 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने वाले आवेदनों हेतु, निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ-7(क)क के प्रिंट आउट की वास्तविक पीडीएफ प्रति दिनांक 30.10.2020 तक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को मैन्युअल रूप से भेजी जा सकती है।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:—संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन की वास्तविक प्रति प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान में छूट दी गई है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th April, 2020

No. 02/2015-2020

Subject : Procedure for availing Transport and Marketing Assistance (TMA) on Specified Agriculture Products – relaxation of time for submission of physical copy of application.

F. No. 01/92/180/01/AM-20/PC-VI.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Handbook of Procedures (2015-20) as amended, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the said Handbook of Procedures, with immediate effect:

(i) The following is added at the end of sub clause (c) of para 7(A).01 of HBP 2015-20:

“However, for the applications filed electronically on or after 01.2.2020 up to 30.09.2020, physical pdf copy of the print out of ANF-7(A)A along with prescribed documents can be filed manually with RA concerned up to 30.10.2020.”

Effect of the Public Notice: Provision for submission of physical copy of application with the concerned RA has been relaxed.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.